


8/4/26

पत्रावली पेश हुयी उभयपक्ष  
पैदासीन अधिकारी अन्य कार्य से व्यस्त  
अवकाश में है। पत्रावली साबिक आदेश  
दिनांक 19/5/26 को पेश हो।

  
आदेश से सिद्ध

19-5-26 पत्रावली पेश हुई। वादी व वादी  
अभियोग अनुपस्थित। वादी व वादी  
अभियोग को नियम अनुसार तीन बार  
जावाजे लगावर्डे गई। परन्तु उपस्थित  
नहीं। अतः वादी का वाद पत्र अन्तर्गत  
धारा 53, 88 व 188 RTA वादी की अन्त  
द्वारा व वादी अभियोग की अन्त  
पेची में खारेज किया जाता है।  
पत्रावली के लला शुभार होकर नम  
से कम होकर दफ्तर दारिजल हो।

  
19/5/26 अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी  
भिलवाडा